XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निग0 2828–दो / 14 जिला – कटनी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
3.9.14	प्रकरण का अवलोकन किया एवं उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया एवं आवेदक की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों का परिशीलन किया । यह निगरानी अपर कलेक्टर, कटनी द्वारा प्रकरण कमांक 77 / बी–121 / 213–14 में पारित आदेश दिनांक 9–6–14 से व्यथित होकर पेश की गई है । आलोच्य आदेश द्वारा कलेक्टर ने यह मानते हुए कि ग्राम लमतरा प.ह.नं. 40 / 50 स्थित भूमि ख0नं0 124 रकबा 0.60 बंदोवस्त अभिलेख के अनुसार आवेदक क. 2 खिलाड़ी वल्द वैशाखू के नाम दर्ज है, जिसका अंतरण बिना जिलाध्यक्ष की अनुमति के आवेदक कं. 1 के पक्ष में हुआ है और उन्होंने उक्त अंतरण को संहिता की धारा 165 (7–ख) के उल्लंघन में मानते हुए भूमि म.प्र. शासन के नाम दर्ज करने के आदेश दिए हैं । आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन के पश्चात अपर कलेक्टर का आदेश अभिलेख पर आधारित नहीं है क्योंकि आवेदक की ओर से इस न्यायालय के समक्ष खिलाड़ी वल्द वैशाखू आदिवासी द्वारा प्रश्नाधीन भूमि पंजीकृत विक्रयपत्र दिनांक 20.6.08 द्वारा रतना आदिवासी पुत्र नोखेलाल आदिवासी को विक्रय की गई थी । रतना की मृत्यु के उपरांत उक्त भूमि पर कालू उर्फ कलुआ का वारिसाना नामांतरण हुआ है । अतः अपर कलेक्टर का यह निष्कर्ष कि खिलाड़ी वल्द वैशाखू द्वारा भूमि का अंतरण आवेदक कमांक 1 के पक्ष में किया गया है, अभिलेख पर आधारित नहीं है । इसके अतिरिक्त आवेदक की ओर से इस न्यायालय के समक्ष कलेक्टर, कटनी द्वारा प्र0 क0 14 / अ–21 / 2008–09 में पारित आदेश दिनांक 30–3–09 की प्रमाणित प्रति पेश की गई है, इस प्रकरण का उल्लेख अपर कलेक्टर ने भी अपने आदेश में किया हे । कलेक्टर के उक्त आदेश को देखते हुए भी अपर कलेक्टर का आदेश विधिसम्मत नहीं है क्योंकि दिनांक 30.3.09 के आदेश द्वारा कलेक्टर ने अन्य भूमियों के साथ प्रश्नाधीन भूमि सर्वे नं. 124 रकबा	

समक्ष न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर (म.प्र.)

निगरानी प्रकरण क्र. 2828-II /2014

निगरानीकर्ता : 1. **कृष्ण कुमार सोनी**

वल्द श्री महादेव प्रसाद सोनी निवासी–ग्राम मसुहरा वार्ड कटनी तहसील व जिला कटनी (म.प्र.)

2. **खिलाड़ी वल्द बैसाखु**

साकिन लंमतरा तहसील व जिला कटनी

श्री .... अधि. द्वारा आज दि. 1.9.14 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 1-9-14
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

विरूद्ध

प्रत्यर्थी : **मध्यप्रदेश शासन**

निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959

न्यायालय अपर कलेक्टर जिला कटनी (म.प्र.) के द्वारा प्रकरण क्रमांक–77 /बी–121/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 09.06.2014 से परिवेदित होकर निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों का माननीय न्यायालय के समक्ष या निगरानी प्रस्तुत है :–

प्रकरण के तथ्य

(1) यह कि, हल्का पटवारी ग्राम लमतरा राजस्व निरीक्षण मण्डल मुड़वारा तहसील कटनी जिला–कटनी ने मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 165/7(ख) के अंतर्गत इस आश्य का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया कि ग्राम लमतरा प.ह.नं. 40/50 राजस्व निरीक्षण मुड़वारा तहसील कटनी जिला कटनी के खसरा नं. 124 क्षेत्रफल (रकबा) 0.60 हे. शासकीय पट्टे की भूमि है तथा पट्टे की शर्तो के अनुरुप श्री खिलाड़ी वल्द बैसाखु भूमिहीन व्यक्ति को अपना एवं अपने परिवार के जीवन यापन किये जाने हेतु